

प्रतिलिपि पत्र संख्या-ए636/सत्तर-5-2007-41(1)2007 दिनांक 11.07.2007 द्वारा अनुसचिव उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ सम्बोधित कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर ।

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब./593/2007 दिनांक 20.04.2007 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कि उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973(यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश, 2007) की धारा-37(2) के अधीन श्री राज्यपाल महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हरदोई को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम को निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2007 से आगामी 01 वर्ष की सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान

करते हैं:-

1. महाविद्यालय सम्बद्धता प्राप्त होते ही निरीक्षण आख्या/प्रपत्र बी में इंगित कमियों को पूरा कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा ।
2. महाविद्यालय राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी ।
3. विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य/निदेशक द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा ।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/ 1643/2007

दिनांक 17/8/07

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित :-

1. प्राचार्य, महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हरदोई को इस आशय से प्रेषित है कि महामहिम कुलाधिपति जी के उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें । माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार प्राचार्य, शिक्षकों का ज्वाइनिंग विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जाए ।
2. उप कुलसचिव(परीक्षा) सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/593/2007, कानपुर ।
3. सिस्टम मैनेजर, सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/593/2007, कानपुर ।
4. इंचार्ज, ई0डी0पी0सेन्टर, सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/593/2007, कानपुर ।

डॉ० ए० ई० सिंह
विभागाध्यक्ष, कानपुर
30/8/07

(महेश चन्द्र)
कुलसचिव